## <u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील</u> चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र<u>0</u>

दांडिक <u>प्रकरण क.-252/11</u>

संस्थित दिनांक-04.07.11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

#### विरुद्ध

निक्की उर्फ गणेश प्रसाद पुत्र दशरथ प्रसाद सोनी उम्र 24 साल निवासी पुराना बाजार खरगापुर जिला टीकमगढ

.....अभियुक्त

### -: <u>निर्णय</u> :--

### <u>(आज दिनांक 16.05.2017 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्त के विरुद्ध आयुद्ध अधिनियम की धारा—25 (1—बी) (ए) के आरोप है कि वह दिनांक 02.02.11 को करीबन 13:30 बजे स्थान पुराना बस स्टेण्ड, पशु चिकित्सालय के सामने सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना किसी अनुज्ञप्ति के 315 बोर का एक देशी कट्टा व दो जिंदा कारतूस रखे हुये पाये गये।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक—02.02.11 को सहायक उपनिरीक्षक एस0एस0 गौर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पुराने बस स्टेण्ड पर खरगापुर वाला निक्की सोनी एक 315 बोर का कट्टा लिये घूम रहा है, तस्दीक हेतु हमराह फोर्स के खाना होकर पुराने बस स्टेण्ड पर पहुचें तो पशु चिकित्सालय के सामने रोड पर निक्की सोनी मिला। मौजूद साक्षी दौलतराम मेहर्र एवं मौजूद्दीन निवासीगण चंदेरी के समक्ष आरोपी को पकडा व उसकी तलाशी ली तो उसकी पेन्ट के नीचे कमर में एक 315 बोर का कट्टा खुरसे तथा पेन्ट की बायी तरफ की जेब में 315 बोर के दो जिन्दा कारतूस रखे मिला। जिससे उक्त पचानों के समक्ष कट्टा व कारतूस रखने बाबत अभियुक्त से लाईसेंस चाहा तो उसने कोई लाईसेंस न होना बताया। अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा—25/27 आर्म्स एक्ट के तहत् दण्डनीय होने से आपराधिक संपत्ति उक्त पंचानों के समाने जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर व तद्पश्चात थाने वापस आकर प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04— अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द०प्र०सं० में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फंसाया गया है।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

द्मिनां	क्या अभियुक्त दिनांक 02.02.11 को करीबन 13:30 बजे
	स्थान पुराना बस स्टेण्ड, पशु चिकित्सालय के सामने
	सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना किसी
	अनुज्ञप्ति के 315 बोर का एक देशी कट्टा व दो जिंदा
	कारतूस रखे हुये पाये गये ?
2.	दोष सिद्धी अथवा दोष मक्ति ?

### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 06— श्याम सिंह गौर (अ0सा0—6) जो दिनांक 02.02.11 को पुलिस थाना चंदेरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि उक्त दिनांक को उसे मुखबिर द्वारा फोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियुक्त पुराने बस स्टेण्ड पर 315 बोर का कट्टा लिये घूम रहा है, जिस पर सूचना की तस्दीक के लिये वह ए० एस० आई० दशरथ सिंह (अ०सा0-4) प्रधान आरक्षक जंग बहादुर सिंह व प्रधान आरक्षक खलको के साथ मौके पर बस स्टेण्ड पर पह्चा था जहां उसे अभियुक्त मिला था और उसकी तलाशी में उसके आधिपत्य से एक 315 बोर का कट्टा व जिंदा कारतूस मिले थे, जिनका रखने का लाइसेंस अभियुक्त के पास नहीं था। इस साक्षी का कहना है कि उसने मौके पर ही साक्षी दौलत राम (अ०सा0-1) व मौजूददीन (अ०सा0-2) के समक्ष अभियुक्त से कटटा व कारतूस जप्त कर मौके पर ही अभियुक्त को उपरोक्त साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार किया था तथा जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 1 व गिरफतारी पचनामा प्रदर्श पी 2 तैयार करने के साथ जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 1 पर कट्टे का अक्श बनाया। इस साक्षी ने जप्ती प्रत्रक प्रदर्श पी 1 व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी 2 पर अपने हस्ताक्षरों की पृष्टि की है।
- 07— ए० एस० गौर (अ०सा०-६) ने दिनांक 02.02.11 को पुराने बस स्टेण्ड से मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को कट्टा व कारतूस सहित साक्षी दौलत राम (अ०सा०–1) व मौजूददीन (अ०सा0-2) के समक्ष पकडकर कट्टा व कारतूस जप्त कर प्रदर्श पी 1 व 2 के पत्रक तैयार किये थे, इस संबंध में इस साक्षी के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथनों की पुष्टि द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 से भी होती है, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है। इस साक्षी के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखिण्डत रहे हैं। इस साक्षी के द्वारा कथित उपरोक्त घटना को बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वह गिरफ़्तारी और जप्ती के समय नहीं बता सकता है। जिसे एस0 एस0 गौर (अ0सा0-6) ने स्वीकार किया है परन्तु इस साक्षी का कहना है कि उसने जप्ती चिट में समय अंकित किया था।
- 08— एस0 एस0 गौर (अ0सा0—6) के कथनों के दौरान माल खाने से तलब प्रकरण में जप्त श्रूदा मुददेमाल प्राप्त होने पर जप्तशुदा आयुद्ध के साथ पायी गई जप्ती चिट जिसे आर्टिकल D से चिंहित किया गया है, में जप्ती का समय 3:45 बजे पुराने बस स्टेण्ड का लेख है तथा उक्त समय कि जप्ती का उल्लेख भी जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 1 में है। जिससे एस० एस० गौर (अ०सा0-6) के कथनों की पृष्टि होती है कि जप्ती का समय पत्रकों पर उनके द्वारा डाला

गया। घटना के लगभग 6 साल बाद निश्चित रूप से किसी भी विवेचक या जप्तीकर्ता अधिकारी के लिये यह संभव नहीं है कि वह पूर्व में की गई कोई कार्यवाही का समय व दिनांक बिना याददाश्त ताजा किये बता सके। अतः ऐसे में एस० एस० गौर (अ०सा०–६) के द्वारा जप्ती व गिरफ्तारी का समय अपने कथनों में न बताये जाने मात्र के आधार पर उसके द्वारा की गई कार्यवाही पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

- 09— बचाव पक्ष की ओर से एस0 एस0 गौर (अ0सा0—6) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में यह भी चुनौती दी गई है कि दौलत राम (अ0सा0—1) व मौजूद्दीन (अ0सा0—2) के समक्ष अभियुक्त से जप्ती और व उसकी गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं की हैं। जिसका खण्डन हालांकि इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में किया है, परन्तु स्वयं दौलतराम (अ0सा0—1) व मोजूद्दीन (अ0सा0—2) जो कि जप्ती व गिरफतारी के साक्षी हैं, ने अपने न्यायालीन कथनों में बचाव पक्ष के समर्थन में कथन दिये हैं। दौलतराम (अ0सा0—1) एवं मोजूद्दीन (अ0सा0—2), एस0 एस0 गौर (अ0सा0—6) द्वारा कथित अभियुक्त से की गई जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही अपने सामने न होना बताते हैं, दौलतराम (अ0सा0—1) जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 1 व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी 2 पर अपने हस्ताक्षर होने से ही इन्कार करता है वही मौजूद्दीन अ0सा0 2 जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 1 व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी 1 व गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी 2 पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करता है परन्तु यह साक्षी अपने कथनों में यह कहता है कि मोटर साईकिल के संबंध में वह थाने पर गया था जहां उसे अभियुक्त थाने पर मिला था तथा दरोगा जी ने उसे बताया था कि अभियुक्त की अन्य व्यक्ति से लडाई हो गयी है इसलिए हस्ताक्षर कराये हैं।
- 10— अतः दौलतराम (अ०सा0—1) व मोजूद्दीन (अ०सा0—2) ने एस0 एस0 गौर (अ०सा0—6) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन एवं बस स्टेण्ड से अभियुक्त से कट्टा व कारतूस जप्त कर की गई जप्ती एंव गिरफ्तारी की कार्यवाही का कोई समर्थन न करते हुये अभियोजन घटना के विरूद्ध न्यायालय में कथन दिये हैं, इन दोनों ही साक्षियों को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी कर उनका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया, परन्तु इन साक्षियों ने अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया। एस0 एस0 गौर (अ०सा0—6) ने घटना दिनांक को सहायक उपनिरीक्षक दशरथ सिंह राठौर (अ०सा0—4) को भी अपने न्यायालीन कथनों में हमराह बताया है, अर्थात जप्ती व गिरफ्तारी का प्रत्यक्ष साक्षी सहायक उपनिरीक्षक दशरथ सिंह राठौर (अ०सा0—4) ने अपने न्यायालीन कथनों में मौके पर हुई अभियुक्त से जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी के संबंध में अपने न्यायालीन कथनों में कोई कथन नहीं दिये हैं। इस साक्षी ने प्रकरण में की गई विवेचन के संबंध में जप्त शुदा कट्टे को जांचके लिये भेजना एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करना व दौलतराम (अ०सा0—1) व मोजूद्दीन (अ०सा0—2) के कथन लेने की पुष्टि की है।
- 11— अतः घटना स्थल पर की गई जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही का पंचसाक्षियों द्वारा समर्थन न करने एवं हमराह साक्षी के द्वारा कोई कथन न देने के कारण एक मात्र साक्ष्य जप्ती कर्ता अधिकारी एस0 एस0 गौर (अ०सा0—6) की शेष बचती है। यहां माननीय सर्वोच्च न्यायलय के द्वारा न्यायादृष्टांत नाथू सिंह बनाम् स्टेट आफ एम0पी0 ए०आई०आर० 1973 एस0सी0 2783 में प्रतिपादित विधि का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि पंचसाक्षियों के पक्षविरोधी हो जाने के पश्चात भी जप्तीकर्ता अधिकारी की साक्ष्य मात्र इस कारण से खारिज नहीं की जा सकती है कि वह पुलिसकर्मी है। उसकी साक्ष्य यदि विश्वसनीय है तो अन्य साक्षियों की साक्ष्य की तरह ही उसकी साक्ष्य पर भी विश्वास किया जा सकता है।
- 12— अतः एस० एस० गौर (अ०सा०—६) की साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्याकंन किया जाना आवश्यक है।

एस0 एस0 गौर (अ0सा0—6) के द्वारा की कार्यवाही को बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी की प्रतिपरीक्षण की कंण्डिका 4 व 5 में मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि एस0 एस0 गौर (अ0सा0—6) ने अभियुक्त को दिनांक 02.02.11 को पुराने बस स्टेण्ड से गिरफ्तारी नहीं किया है बल्कि उसे दिनांक 01.02.11 को खरगापुर जिला टीकमगढ से उसके घर से किसी शानू उर्फ प्रियांशु के कहने पर गिरफ्तार कर ये झूठा केस कट्टे व कारतूस की जप्ती दिखाकर बनाया है। बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिरक्षा स्वरूप इस साक्षीके प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 व 5 में दिये गये सुझावों का एस0 एस0 गौर (अ0सा0—6) अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से खण्डन किया है।

- 13— बचाव पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा को प्रमाणित करने के लिये प्रदर्श डी 1 का पंचनामा सहित साक्षी वृदांवन (ब0सा0—1) रामबाबू (ब0सा0—2) स्वयं अभियुक्त निक्की सोनी (ब0सा0—3) एवं पुलिस थाना चंदेरी के प्रधान आरक्षक तेजिसह (ब0सा0—4) के कथन सिहत दिनांक 01.02. 11 एवं दिनांक 02.02.11 का पुलिस थाना चंदेरी का रोजनामचा सान्हा प्रदर्श डी 2 व 3 प्रदर्शित कराया गया। एस0 एस0 गौर (अ0सा0—6) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में दिनांक 01.02.11 को खरगापुर जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से इन्कार नहीं किया है, इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह स्पष्ट कहा है कि यदि वह दिनांक 01.02.11 को खरगापुर गया था तो उसकी रवानगी डाली गयी होगी जो वह अभिलेख देखकर ही बता सकता है। निश्चित रूप से विवेचक कई प्रकरणों में विवेचना करते हैं इसलिए उनके लिये बिना अभिलेख देखे यह बता पाना संभव नहीं है कि किस दिनांक को वह थाने पर रवानगी डालकर कहा गये थे।
- 14— प्रधान आरक्षक तेजिसिंह (ब0सा0—4) ने रोज नामचा अनुसार अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक 01.02.11 को सान्हा क्रमांक 5 पर रवानगी डालकर ए० एस० आई० एस० एस० गौर (अ०सा०—6) जंगबहादुर सिंह, आरक्षक के के शर्मा व आरक्षक पुरूषोत्तम सोनी एवं आर० आर० खलको अपराध क्रमांक 24/11 अंतर्गत धारा 395, 397, 511 भगद०वि० में आरोपियों के तलाश में लिलतपुर टीकमगढ खरगापुर गये थे तथा दिनांक 02.02.11 को उनकी वापसी सान्हा क्रमांक 28 पर सुबह 08:00 बजे दर्ज हुई थी। अतः प्रधान आरक्षक तेजिसंह (ब०सा0—4) के कथनों से एवं रोजनामचा सान्हा प्रदर्श डी 2 व 3 की मूल से मिलान की गई प्रति से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 01.02.11 को एस० एस० गौर (अ०सा0—6) सिंहत अन्य पुलिस कर्मी थाने से रवानगी डालकर लिलतपुर टीकमगढ सिंहत खरगापुर गये थे। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त साक्ष्य एवं दस्तावजों से यह भी प्रमाणित है कि एस एस गौर असा 6 के द्वारा प्रातः 08:00 बजे दिनांक 02.02.11 को वापसी दर्ज की गई तथा उक्त वापसी में अभियुक्त की गिरफ्तारी का कोई उल्लेख नही है।
- 15— बचाव पक्ष की ओर से दिनांक 01.02.11 को तैयार किया गया पचंनामा प्रदर्श डी 1 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है परन्तु उक्त पंचनामें को विधिवत् उसके लेखक को बुलाकर प्रमाणित नहीं कराया गया। पंचनामा साक्षी वृंदावन (ब0सा0—1) व रामबाबू (ब0सा0—2) के कथन बचाव पक्ष की ओर से अपने समर्थन में कराये गये हैं, जिनमें वृंदावन (ब0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनो में कहना है कि दिनांक 01.02.11 को वह चाय की दुकान पर चाय पी रहा था तो दो पुलिस वाले खरगापुर से जीप लेकर आये थे, और निक्की सोनी का घर पूछ रहे थे, उसके बाद वह वापस चले गये और थाने से दुबारा पुलिस आयी और निक्की जो घर पर सो रहा था, उसे उठाकर बाहर ले आये ओर उसकी तलाशी लेने पर कुछ नही मिला था। इस साक्षी के अनुसार पुलिस वालों के साथ कोई जैन लडका भी था, जो पुलिस से कह रहा था कि निक्की को जेल भिजवाना हैं, जिसके बाद पुलिस वाले निक्की को लेकर चले गये।

- 16— वंदावन (ब0सा0—1) के कथनों के समान ही रामबाबू (ब0सा0—2) ने भी न्यायालय में यह कथन दिये है कि वह अपने घर से तीन बजे निकला था तो उसने निक्की के घर पर भीड—भाड देखी थी तथा पुलिस वाले निक्की के घर गये थे तथा उसके साथ चंदेरी को कोई लड़का भी था जो एस0 एस0 गौर (अ0सा0—6) से कह रहा था कि मैने आपको पैसे काहे के दिये हैं इस पर कट्टे का केस लगा दो। इस साक्षी के अनुसार उसे यह समझ आ गया था कि पुलिस वाले रास्ते में निक्की पर केस बना देंगे। इस साक्षी के अनुसार यह घटना दिनांक 01.02.11 के तीन बजे की है और इसी कारण पंचनामा प्रदर्श डी 1 बनाया गया।
- 17— वंदावन (ब0सा0—1) व रामबाबू (ब0सा0—2) दोनों ही पंचनामा प्रदर्श डी 1 पर अपने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है परन्तु पंचनामा प्रदर्श डी 1 अपने आप में निश्चायक साक्ष्य नहीं है, उसे कथनों से और लेखक की साक्ष्य से साबित होना आवश्यक है। पंचनामा डी 1 पर अंकित दिनांक 01.02.11 की है, उक्त पंचनामें में कही पर भी मौके पर प्रियांशु जैन का पुलिस वालों के साथ आने का उल्लेख नहीं है जबिक यह दोनों ही साक्षी मौके पर प्रियांशु जैन की पुंलिस वालों के साथ उपस्थिति बता रहे हैं। वंदावन (ब0सा0—1) जो कि खरगापुर का स्थाई निवासी न होकर अपने प्रतिपरीक्षण में देहात का होना स्वीकार करता है। इसकी निक्की सोनी से पूर्व की कोई जान पहचान नहीं है, इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में निक्की के घर से 10 कदम की दूरी पर चाय की दुकान पर घटना के समय चाय पीना बताया है। यह साक्षी प्रतिपरीक्षण में स्वयं यह स्वीकार करता है कि पुलिस वालों ने चाय दुकान पर कोई पूछताछ नहीं की और न ही उससे कोई पूछताछ की। अतः यदि इस व्यक्ति से पुलिस ने कोई पूछताछ ही नहीं की तो निक्की सोनी के संबंध में इस व्यक्ति को इतनी जानकारी किस प्रकार है यह समझ से परे है।
- 18— वृंदावन (ब0सा0—1) आधे घण्टे तक बिना किसी कारण के चाय की दुकान पर बैठना बताता है। कौन सा पुलिस कर्मी खरगापुर का था तथा कौन सा चंदेरी का था, एक अन्जान व्यक्ति को उसकी जानकारी इस साक्षी को किस प्रकार थी यह कही उसके कथनों से स्पष्ट नहीं होता है। निक्की से यदि किसी पुलिस कर्मी ने चाय दुकान से दूर पूछताछ की और यह व्यक्ति यदि निक्की के मोहल्ले का नहीं था तो शाम को पांच बजे तक पंचनामें पर हस्ताक्षर करने के लिये क्यों रूका तथा उसे इस घटना की इतनी बारिकी से जानकारी उसकी साक्ष्य को विश्वास योग्य नहीं बनाती है क्योंकि यह अन्जान व्यक्ति से यह उपेक्षा नहीं हो सकती है कि वह इतने विस्तारपूर्वक हर बात की जानकारी रखें और अभियुक्त को बचाने के लिये शाम 05:00 बजे तक रूककर पंचनामा बनवा कर उस पर हस्ताक्षर भी करें।
- 19— साक्षी रामबाबू (ब0सा0—2) यहां तक कहता है कि एस एस गौर के साथ एक लडका और था जो यह कह रहा था पैसें काहे के दिये है इस पर कट्टे का केस लगा दो। अभियुक्त निक्की सोनी (ब0सा0—3) भी अपने कथनों मे यह कहता है कि शानू पुलिस के साथ आया था और उसी ने पहचान की थी और पुलिस वालो से मौके पर ही शानू से कहा था कि जो हमारा केस है वो निक्की के ऊपर लगा देना। रामबाबू (ब0सा0—2) व निक्की (ब0सा0—3) के कथनों से यह स्पष्ट है कि इन साक्षियों के अनुसार, खरगापुर से जब अभियुक्त को चंदेरी पुलिस पकड रही थी तो शानू जैन पुलिस के साथ था तथा मौके पर अभियुक्त की मां व आसपास के लोग भी उपस्थित थे तथा शानू जैन और पुलिस की बार्तालाव से सभी को यह जानकारी थी कि शानू जैन के कहने पर निक्की पर पुलिस केस बना रही है।
- 20— यहा यह उल्लेखनीय है कि यदि शानू जैन के कहने पर अभियुक्त के विरूद्ध झूठा के स बनाने की जानकारी अभियुक्त परिवार सहित आस—पडोस के लोगो को थी तो यह समझ से परे हैं कि अभियुक्त को खरगापुर से गिरफ्तार करने के तुरन्त बाद घरवालों ने व आस—पडोस के

लोगों ने पुलिस थाना चंदेरी में शानू जैन के विरूद्ध या संबंधित पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही क्यों नही की। मानव स्वभाव के साधारण अनुक्रम में यदि कोई निर्दोष व्यक्ति को कोई पुलिस कर्मी किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर उनके घरवालों के सामने झूठा फंसा रहा हो और प्रतिक्रिया स्वरूप घरवाले झूठा फंसाने वाले पुलिस कर्मी और व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही न करे यह संभव ही नहीं हैं।

- 21— अभियुक्त शानू जैन द्वारा उसे झूठा फंसाया जाने का कारण पूर्व में शानू जैन द्वारा उसके मामा की लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के उपरांत हुआ विवाद बता रहा है तथा उक्त विवाद दिनांक 12.07.2012 का बताता है जो कि अभियोजन घटना के बाद की दिनांक हैं। अभियुक्त अपने कथनों में यह भी कहता है कि शानू जैन तीन—चार दिन पहले कट्टों का थैला लिये पकड़ा गया था, परन्तु जान पहचान होने के कारण शानू जैन के कहने पर पुलिस वालों ने उस पर केस लगा दिया। अभियुक्त के द्वारा दिया गया उपरोक्त तर्क कहीं से भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। सर्व प्रथम तो शानू जैन से उसके विवाद के संबंध में ही उसके कथनों में विरोधाभास की स्थिति है तथा उसके कथन स्पष्ट नहीं हैं एवं एक व्यक्ति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति पर अकारण पुलिस केस क्यों बनायेगी इस पर विश्वास करने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं हैं।
- 22— अतः बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य से निश्चित रूप से दिनांक 01.02.11 को एस0 एस0 गौर (अ0सा0—6) की खरगापुर में उपस्थिति प्रमाणित होती है परन्तु उसका निष्कर्ष बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर यह कतई नही निकला जा सकता है कि खरगापुर से एस0 एस0 गौर (अ0सा0—6) ने अभियुक्त को झूठा गिरफ्तारी किया है। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य उपरोक्त विवेचन के आधार पर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है तथा पंचनामा प्रदर्श डी 1 पश्चात्वर्ती सोच के आधार पर निर्मित किया गया प्रकट होता है। जबिक इसके विपरीत एस0 एस0 गौर (अ0सा0—6) ने अपने न्यायालीन कथनों में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 में उल्लेखित घटना को विधिवत् अपने कथनों से प्रमाणित किया है जिनमें कोई तात्विक विरोधाभास बचाव पक्ष उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ।
- 23— एस0 एस0 गौर (अ0सा0—6) के कथनों से अभियुक्त से बस स्टेण्ड पर दिनांक 02.02.11 को 03:45 बजे एक कट्टा व दो कारतूस की जप्ती प्रमाणित होती है। दशरथ सिह राठौर (अ0सा0—4) के द्वारा अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की गई है कि उसे कट्टा शीलबंद प्राप्त हुआ था जो उसने जांच के लिये भेजा था। सहायक उपनिरीक्षक प्रेमिसह यादव (अ0सा0—3) जिसके द्वारा जप्त शुदा कट्टे व कारतूस की जांच की गई एवं प्रदर्श पी 5 की जांच रिपोर्ट तैयार की गई, ने अपने न्यायालीन कथनों में कट्टा चालू हालत में व कारतूस मिस होने की पुष्टि करते हुये प्रदर्श पी 5 की जांच रिपोर्ट को प्रमाणित किया है तथा इस साक्षी ने भी अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि उसे जांच हेतु कट्टा शीलबंद प्राप्त हुआ था, तथा शीलबंद ही उसने वापस किया था। हालांकि इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में जांच रिपोर्ट में कट्टे के शीलबंद होने का उल्लेख होने के संबंध में विरोधाभास हैं, परन्तु प्रदर्श पी 5 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि जांच हेतु कट्टा शीलबंद प्राप्त हुआ था और शीलबंद ही वापस किया गया था।
- 24— बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसकी कट्टे के जांच करने की सक्षमता को चुनौती दी है, इसके संबंध में इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि उसने केंद्रीय पुलिस आर्म्स रिपेयरिंग वर्कशॉप भोपाल से 1998—99 से आर्म्स का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जिसको खण्डित करने का भार बचाव पक्ष पर था, जो कि बचाव पक्ष संपूर्ण प्रतिपरीक्षण में नहीं कर

सका। वैसे भी एक पुलिसकर्मी जो कि अपनी पूरी नौकरी के दौरान आयुद्धों का उपयोग करते हैं वह बिना परीक्षण के भी यह बता सकते हैं कि कौन सा आयुद्ध चालू हालत में हैं एवं कौन सा आयुद्ध चालू हालत में नही है। अतः किसी डिग्री का प्रकरण में प्रस्तुत होना आवश्यक नही

- 25— आर्म्स लिपिक अमरलाल (अ०सा०—5) ने भी अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक 31.03.11 को अपराध क्रमांक 67/11 की केस डायरी एवं जप्तशूदा मुद्देमाल का जिला दण्डाधिकारी के समक्ष रखने पर अवलोकन उपरांत उनके द्वारा अभियोजन की स्वीकृति आदेश प्रदर्श पी 6 जारी किया गया था, जिस पर जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षरों की पहचान इस साक्षी ने की है। जिला दण्डाअधिकारी के द्वारा पारित आदेश प्रदर्श पी 6 लोक दस्तावेज है जो कि पदयी कर्तव्य के निर्वाहन में किया गया आदेश है, जिसके सत्य होने की उपधारणा की जाती है। बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में मुख्य रूप से इस बात को चुनोती दी गई है कि जिला दण्डाधिकारी के समक्ष जप्तशुदा आयुद्ध नही रखे गये तथा डायरी केसाथ आयुद्ध पेश नही हुआ। जिसका खण्डन अमरलाल (अ०सा०–५) हालांकि अपने प्रतिपरीक्षण में किया है।
- 26— यह उल्लेखनीय है कि यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि जप्तशुदा आयुद्ध अभियोजन स्वीकृति के समय जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही किय गये थे तब भी प्रदर्श पी 6 का आदेश अपने आप में स्पष्ट हैं और आयुद्ध यदि प्रस्तुत न भी किये जाये तो उससे अभियोजन स्वीकृति दूषित नहीं हो जाती है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत Gurudev Singh @ Goga v. State of M.P. I.L.R. (2011) M.P. 2053 (D.B.) में प्रतिपादित न्यायमत पर आधारित हैं जो अवलोकनीय हैं।
- 27— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि एस० एस० गौर (अ०सा०–६) के द्व ारा घटना दिनांक को अभियक्त से आर्टिकल A का कटटा व दो राउण्ड जप्त किये गये थे, जिनमें कट्टा चालू हालत में था तथा राउण्ड मिस थे यह प्रेमसिंह यादव (अ०सा०-3) की साक्ष्य एवं उसकी रिपार्ट प्रदर्श पी 5 से साबित होता है। अभियुक्त के विरूद्ध विधिवत् अभियोजन चलाने की स्वीकृति तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा दी गई यह अमरलाल (अ०सा०-5) की साक्ष्य एवं प्रदर्श पी 6 के आदेश से प्रमाणित है। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 1 में व प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो जिंदा राउण्ड जप्त किये जाने का उल्लेख है। जबकि प्रेम सिंह (अ०सा०-3) ने दो राउण्ड जो उसे जांच हेतु प्राप्त हुये मिस होना बताया हैं जिसके संबंध में एस० एस० गौर (अ०सा०-६) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में यह स्वीकार किया है कि जप्तशूदा राउण्ड पर फायरिंग पिन के दो निशान हैं, जिसके संबंध में इस साक्षी का कहना है कि वह उन कारतूसों को जिंदा मनता है।
- 28— निश्चित रूप से बचाव पक्ष एस० एस० गौर (अ०सा०-६) के कथनो में यह विरोधाभास उत्पन्न करने में सफल रहा है कि जप्तशुदा राउण्ड जिंदा जप्त किये थे या मिस जप्त किये थे, परन्त् उक्त विरोधाभास लिखापढी के दौरान एक सामान्य सी भूल प्रकट होता है जो किसी से भी हो सकती है, जिसका उदाहरण यह है कि जिला दण्डाधिकारी के आदेश में भी जिंदा राउण्ड जप्त होने का उल्लेख है एवं न्यायालय के समक्ष जप्त कट्टा व कारतूस प्रस्तुत हुये, तो न्यायायल के द्वारा लगाये गये नोट में भी जिदा कारतूस प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है जबिक प्रतिपरीक्षण में उस पर फायरिंग पिन के निशान होने की पुंष्टि एस० एस० गौर (अ०सा0-6) ने की है। प्रकरण में जप्तशुदा कट्टे का अक्श व उसकी पहचान जप्ती पत्रक में स्पष्ट रूप से दर्शायी गई तथा न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत कट्टे को जप्ती पत्रक में दर्शायें

गये कट्टा न होने की कोई चुनौती नहीं दी गई। अतः ऐसे में मिस राउण्ड को जिंदा राउण्ड कह कर पत्रकों में व साक्ष्य में उल्लेख करना एक मानवीय भूल प्रकट होती है जिसके आधार पर एस0 एस0 गौर (अ०सा0–6) के द्वारा दी गई साक्ष्य एवं प्रकरण में की गई कार्यवाही पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

- 29— एस0 एस0 गौर (अ0सा0—6) की साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय है जिसमें बचाव पक्ष कोई तात्विक विरोधाभास उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ है बचाव पक्ष स्वयं भी अपनी प्रतिरक्षा विश्वसनीय साबित करने में सफल नहीं हुआ अतः दी गई प्रतिरक्षा से अभियुक्त को लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 30— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त दिनांक 02.02.11 को करीबन 13:30 बजे स्थान पुराना बस स्टेण्ड, पशु चिकित्सालय के सामने सार्वजनिक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना किसी अनुज्ञप्ति के 315 बोर का एक देशी कट्टा व दो जिंदा कारतूस रखे हुये पाया गया।
- 31— फलस्वरूप अभियुक्त निक्की उर्फ गणेश प्रसाद पुत्र दशरथ प्रसाद सोनी के विरूद्ध आयुद्ध अधिनियम की धारा— 25 (1—बी) (ए) के आरोप साबित होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त निक्की उर्फ गणेश प्रसाद पुत्र दशरथ प्रसाद सोनी को आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1—बी) (ए) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष सिद्ध. घोषित किया जाता है।
- 32— अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

33— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्त का प्रथम अपराध है वह छात्र हैं अतः दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये। अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का तथा इस तरह के कृत्य के अन्य गंभीर परिणाम भी हो सकते है, अतः अभियुक्त पर आरोपित अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त निक्की उर्फ गणेशप्रसाद को आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1—बी) (ए) के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में 1 वर्ष (एक वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 500 / — रूपये (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 7 दिवस (सात दिवस) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे।

# (9) <u>दांडिक प्रकरण क.-252/11</u>

34— अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा कट्टा व दो कारतूस बाद मियाद अपील, अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी अशोकनगर म0प्र0 को विधिवत् निराकरण के लिये भेजा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)